

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक/राज0/प्र0सं0/210/2019

दिनांक 02/11/2020

प्रेषित,

तहसीलदार, माण्डलगढ

विषय :- पत्थरगढी करने बाबत।

उनवान

- 1 लालीदेवी पत्नि बाबूलाल मेवाड़ा निवासी जलीन्द्री तहसील बिजौलियाँ।

—प्रार्थीया

बनाम


- 1 राजी बैवा कल्याण भील निवासी भटखेड़ी तहसील माण्डलगढ।
- 2 जोधा पिता हजारी भील निवासी भटखेड़ी तहसील माण्डलगढ।
- 3 साधनादेवी पत्नि राजेन्द्रसिंह तवॅर राजपूत निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ।
- 4 शिवप्रकाश पिता रामनिवास झॅवर निवासी माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ।
- 5 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम धनवाड़ा प.ह. माल का खेड़ा की सरहद में स्थित खाता संख्या 469 की आराजी संख्या 8 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी कमिश्नर फीस 500/- रुपये मौके पर वक्त पत्थरगढी अदा करें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावें तो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 1 माह में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।


उत्तम चौधरी(आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

